झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
सप्तम् (शीतकालीन) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 21.12.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री राज सिन्हा स0वि0स0	झारखण्ड राज्य के गठन के समय वर्ष-2000 में झारखण्ड राज्य ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम को अंगीकार किया। किन्तु समय के साथ इसमें आवश्यक बदलाव नहीं किया गया, जिससे यहाँ के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को समय पर प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है। वास्तव में 27.07.1998 से चले आ रहे परिनियम को दिनांक-31.12.2008 को समाप्त कर दिया गया था। और सीधे 06.08.2021 को UGC रेगुलेशन 2018 के आधार पर एक नया परिनियम लागू किया गया। अतः 01.01.2009 से 05.08.2021 के बीच कोई भी परिनियम (Statute) झारखण्ड के नहीं था जिसके आधार पर विश्वविद्यालय व महाविद्यालय शिक्षकों की सेवा शर्तें व इस अवधि में देय प्रोन्नति निर्धारित होती। महोदय प्रोन्नति एक विभागीय मामला है किन्तु इसे भी JPSC के हवाले कर दिया गया जिसकी विश्वसनीयता एवं कार्य प्रणाली कैसी है, यह किसी से छिपी नहीं है। देश के किसी भी राज्य यहाँ तक-	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

01.	02.	03.	04.
		कि बिहार में भी, जहाँ से इस राज्य ने विश्वविद्यालय अधिनियम को अंगीकार किया है, इस तरह की व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था विश्वविद्यालय के स्वायत्तता के विरूद्ध है। लोक सेवा आयोग नियुक्ति देने वाली संस्था है न कि प्रोन्नति देने वाली। अतः झारखण्ड में विश्वविद्यालय व महाविद्यालय शिक्षकों के लंबित प्रोन्नति की समस्या को दूर करने एवं परिनियम अंतराल को दूर कर नियमित प्रोन्नति की व्यवस्था बनाने के तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	
02-	श्री निरल पुरती स0वि0स0 श्री सुखराम उराँव स0वि0स0	पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत विद्युतीकरण योजना के अधीन कुल-1684 गाँवो का चयन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किया गया जिसके तहत् 10KVA/16KVA का ट्रांसफार्मर लगाये गये थे। लेकिन, विगत वर्ष से कुल 295 गाँवो में ट्रांसफार्मर खराब पड़े है एवं तांतनगर, मंझारी एवं हाटगम्हरिया प्रखण्ड के शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य दिनांक- 30.09.2021 तक था। परन्तु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। अतएव ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करने तथा खराब पड़े ट्रांसफार्मर बदलने हेतु सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	ऊर्जा
03-	श्री उमा शंकर अकेला स0वि0स0	हजारीबाग जिला अन्तर्गत चौपारण प्रखण्ड के निम्नलिखित गाँव जैसे रोहरा, भदान, हथिन्दर, कैरी, पिपराही, लालकिशुन चक, करमा, चयकला, बिगहा, राजिक, बेढ़ना बारा, मचला एवं अन्य गाँव के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होने के कारण करीब पिछले 100 सालों से जंगल क्षेत्र में झोपड़ी लगा कर-	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी

01.	02.	03.	04.
		जीवन यापन कर रहे हैं जिसके कारण इन लोगों को सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे कि आवासीय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह जाते हैं और कई बार वन विभाग के द्वारा इनके झोपड़ियों को नष्ट कर दिया जाता है और ये बेघर हो जाते है, ऐसे में पलायन की स्थिति बन जाती है। अतः मैं इस महत्त्वपूर्ण एवं लोकहित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
04-	श्री वैद्यनाथ राम स0वि0स0	लातेहार जिला अन्तर्गत चन्दवा बालुमाथ मुख्यालय के शेरेगाड़ा पंचायत में उच्च विद्यालय शेरेगाड़ा से ग्राम जाला तक आजादी के बाद से आज तक किसी भी प्रकार का सड़क निर्माण नहीं कराया गया है, जबकि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। सड़क निर्माण नहीं होने के कारण क्षेत्र की जनता को इलाज, हाट-बाजार आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतएव मेरा सादर आग्रह है कि जनहित में इसी वित्तीय वर्ष में उक्त सड़क का निर्माण कार्य कराने की कृपा की जाय। इस गम्भीर समस्या की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	ग्रामीण कार्य
05-	श्री अमर कुमार बाऊरी स0वि0स0 श्री भानु प्रताप शाही स0वि0स0 श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0	सवर्णरेखा सिंचाई परियोजना में चांडिल लेफ्ट मेन कैनाल के 78.567 किलोमीटर से निकले बाराचुरी लघु नहर और वितरण प्रणालियों के निर्माण में बिना काम कराए 7.56 करोड़ रूपए के भुगतान का खुलासा महालेखाकार की जाँच में पाया गया, जिसकी जानकारी पत्रांक- जाँच (OR-35)/2015/12 दिनांक- 11.10.2015 द्वारा वित्त विभाग को दी गई थी। वित्त विभाग ने पत्रांक- 35, दिनांक- 05.01.2016 द्वारा जल संसाधन विभाग को उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन पर कार्रवाई का निर्देश दिया था। जल संसाधन विभाग ने पत्रांक- 4336, दिनांक- 11.10.2018 द्वारा अनियमित भुगतान राशि की वसूली करने तथा दोषी पदाधिकारियों पर प्रपत्र-	जल संधाधन

01.	02.	03.	04.
		"क" गठित करने का निर्देश दिया था। विदित् हो कि अनियमित भुगतान के दोषी पदाधिकारियों की सूची में शामिल रहे तत्कालीन सहायक अभियंता को जल संसाधन विभाग ने अधिसूचना 2262, दिनांक- 21.05.2021 द्वारा चांडिल कंपलेक्स, जमशेदपुर का मुख्य अभियंता बना दिया, जबकि अनियमित भुगतान का मामला इसी कंपलेक्स से जुड़ा हुआ है। अतः सदन के माध्यम से दोषी पदाधिकारी पर राशि की वसूली के साथ दंडात्मक कार्रवाई करने और चांडिल कंपलेक्स से तुरंत हटाने की माँग पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूँ।	

राँची,
दिनांक- 21 दिसम्बर, 2021 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-53/2021-....2552/वि० स०, राँची, दिनांक- 20 ·12· 2021

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/ सचिव, ऊर्जा विभाग/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग एवं सचिव, जल संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/21

(एस० शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-53/2021-....2552/वि० स०, राँची, दिनांक- 20 ·12· 2021

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

20/12/21

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

20/12/2021